करियर शीट · CAREER SHEET

Supervisor (Women Empowerment) — Directorate of Women Empowerment, Rajasthan

महिला अधिकारिता निदेशालय की पर्यवेक्षक उस तंत्र को चलाती है जो हिंसा, बाल विवाह, दहेज और भेदभाव का सामना कर रही महिलाओं तक पहुँचता है — महिला सहायता केंद्र, सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और साथिन कार्यकर्ताओं का क्षेत्रीय...

इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/raj-supervisor-women

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in

सुशील कुमार शर्मा
प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer

श्री चेनाराम चौधरी
प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer

श्रीमती संघमित्रा
वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)

भरत चौधरी
अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

🙏 विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS

सुरेन्द्र सिंह राठौड़
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना

सुरेश कुमार सैन
व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

वनिता कुमारी
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

कमलेश चौधरी
व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14–17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14–17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

महिला अधिकारिता निदेशालय की पर्यवेक्षक उस तंत्र को चलाती है जो हिंसा, बाल विवाह, दहेज और भेदभाव का सामना कर रही महिलाओं तक पहुँचता है — महिला सहायता केंद्र, सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और साथिन कार्यकर्ताओं का क्षेत्रीय ढाँचा। काम में परामर्श, प्रकरणों का अनुवर्तन, विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन और ज़मीनी कार्यकर्ताओं का पर्यवेक्षण शामिल है। योग्यता सीधी और उदार है — किसी भी विषय में स्नातक, आयु 18 से 40 वर्ष, और पूरा संवर्ग सीधी भर्ती से भरा जाता है। यह पद आंगनवाड़ी वाले पर्यवेक्षक से अलग है: वह समेकित बाल विकास का पद है, जिसमें आधे पद कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित रहते हैं।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	किसी भी विषय में स्नातक + सी.ई.टी. स्नातक स्तर उत्तीर्ण
भर्ती संस्था	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आर.एस.एस.बी.), जयपुर
आयु-सीमा	18 वर्ष पूर्ण तथा 40 वर्ष से कम — आरक्षित वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु-सीमा में छूट मिलती है (विवरण नीचे)
आरंभिक वेतन	पे मैट्रिक्स स्तर आधिकारिक रूप से पुष्ट नहीं — विज्ञप्ति देखें
माँग	100% पद सीधी भर्ती से; 2024 में पूर्ण विज्ञप्ति जारी हुई थी

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- महिलाओं के अधिकारों एवं सुरक्षा के क्षेत्र में काम
- सामुदायिक स्तर पर बदलाव लाने का प्रयास
- परामर्श देना एवं लोगों की समस्याएँ सुनना

क्षमताएँ

- संकट में आई महिला से संवेदनशीलता एवं गोपनीयता के साथ बात करना
- प्रकरण के अभिलेख एवं अनुवर्तन में व्यवस्थित रहना
- तनावपूर्ण एवं कभी-कभी टकराव वाली स्थिति में शांत रहना

ज़रूरी कौशल

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की व्यावहारिक समझ
- परामर्श की तकनीक एवं प्रकरण-प्रबंधन
- सखी वन स्टॉप सेंटर एवं महिला हेल्पलाइन का संचालन
- विभागीय पोर्टल पर प्रकरण-प्रविष्टि एवं रिपोर्टिंग
- बाल विवाह प्रतिषेध एवं दहेज प्रतिषेध कानूनों की जानकारी
- पुलिस, विधिक सेवा प्राधिकरण एवं चिकित्सालय से समन्वय
- साथिन एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षण

4 कैसे पहुँचें

1. कक्षा 12 किसी भी संकाय से उत्तीर्ण करें।
2. किसी भी विषय में स्नातक पूरा करें — नियम केवल इतना कहते हैं कि अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक हो। समाज कार्य, विधि, मनोविज्ञान या समाजशास्त्र लेने पर काम में और आगे पदोन्नति में सुविधा रहती है।
3. आर.एस.एस.बी. की सी.ई.टी. स्नातक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण करें; अंक 3 वर्ष तक मान्य रहते हैं।
4. विज्ञप्ति आने पर एस.एस.ओ. पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करें और लिखित परीक्षा दें। 2024 में बोर्ड ने इस पद की पूर्ण विज्ञप्ति जारी की थी।
5. दस्तावेज़ सत्यापन के बाद ज़िला महिला अधिकारिता कार्यालय अथवा सखी वन स्टॉप सेंटर में कार्यभार लें।
6. सेवा में रहते हुए समाज कार्य में स्नातकोत्तर (एम.एस.डब्ल्यू.) कर लें — आगे की पदोन्नति के लिए नियम यही योग्यता माँगते हैं।

प्रमुख परीक्षाएँ

- सी.ई.टी. स्नातक स्तर (आर.एस.एस.बी.) — सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूची-I में महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के पर्यवेक्षक का नाम दर्ज है। अंक 3 वर्ष तक मान्य।
- पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता) लिखित परीक्षा — अंक-योजना, अवधि एवं पाठ्यक्रम उसी चक्र की विज्ञप्ति में प्रकाशित होते हैं। बोर्ड ने 2024 में इस पद की पूर्ण विज्ञप्ति जारी की थी।

- एक सावधानी — इन्हीं सेवा नियमों की अनुसूची-III में जो परीक्षा-योजना एवं पाठ्यक्रम दिया है, वह संरक्षण अधिकारी (प्रोटेक्शन ऑफ़िसर) पद का है, पर्यवेक्षक का नहीं। तैयारी उसी से न करें; पर्यवेक्षक का पाठ्यक्रम विज्ञप्ति में देखें।
- ऊपरी आयु-सीमा में छूट — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; तथा इन्हीं वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी पद के आगे लिखी बिना छूट वाली आयु किसी आरक्षित वर्ग की महिला के लिए दस वर्ष कम बताती है — यदि आप उस श्रेणी में हैं तो अपनी पात्रता छूट जोड़कर ही तय करें। राजस्थान में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद श्रेणीवार आरक्षित रहते हैं। विधवा एवं परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा नहीं — नियमों में यही शब्द हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 13(9) में, तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों के इसी परंतुक में यह प्रावधान दर्ज है, और आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्तियाँ भी इसे दोहराती हैं। विधवा को सक्षम अधिकारी से पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और परित्यक्ता को तलाक का प्रमाण देना होता है। छूट एवं आरक्षण की सटीक शर्तें उसी भर्ती की विज्ञप्ति में दी जाती हैं।

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- Government colleges of Rajasthan — graduation in any faculty — हर ज़िले में (https://hte.rajasthan.gov.in/)
- Government colleges and universities offering MSW — for promotion later — जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं अन्य विश्वविद्यालय (https://www.uniraj.ac.in/)
- Sakhi One Stop Centres — the work seen from inside, before you supervise it — प्रत्येक ज़िला मुख्यालय

ऑनलाइन

- महिला अधिकारिता निदेशालय, राजस्थान — इस पद का विभाग — योजनाएँ, केंद्र एवं हेल्पलाइन (https://wcd.rajasthan.gov.in/)
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 — मूल पाठ — निःशुल्क, भारत सरकार का विधि पोर्टल (https://www.indiacode.nic.in/)
- राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181 एवं सखी योजना की जानकारी — योजना का ढाँचा समझने के लिए (https://wcd.gov.in/)

- आर.एस.एस.बी. — पिछले प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी व पाठ्यक्रम (निःशुल्क) — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक साइट — तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद निःशुल्क सामग्री (https://rsmssb.rajasthan.gov.in/show_archived?menuName=Xj4lCb9vGxpQnfLs%2FxlZ2g%3D%3D)
- विभागीय सेवा नियम (कार्मिक विभाग) — पद की योग्यता व आयु मूल दस्तावेज़ में पढ़ें — कार्मिक विभाग हर संवर्ग के सेवा नियम प्रकाशित करता है। किसी भी कोचिंग सामग्री से पहले यही पढ़ें — योग्यता, आयु और भर्ती की विधि यहीं तय होती है। (https://dop.rajasthan.gov.in/)
- स्वयं (SWAYAM) — भारत सरकार के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स — निःशुल्क (https://swayam.gov.in/)
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) — निःशुल्क पुस्तकें व अध्ययन सामग्री (https://ndl.iitkgp.ac.in/)
- एन.सी.ई.आर.टी. — निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें — सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान की नींव (https://ncert.nic.in/)

फ़ीस

सरकारी महाविद्यालय से स्नातक की फीस लगभग ₹3,000 – ₹15,000 प्रति वर्ष है। सी.ई.टी. एवं लिखित परीक्षा का शुल्क कुछ सौ रुपये है, आरक्षित वर्गों को छूट मिलती है। इस पद के लिए किसी महँगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं — एम.एस.डब्ल्यू. आगे की पदोन्नति के लिए चाहिए, प्रवेश के लिए नहीं, और वह सेवा में रहते हुए भी किया जा सकता है।

छात्रवृत्तियाँ

- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana (free coaching, apply via SSO) (https://sso.rajasthan.gov.in/signin)
- Rajasthan Social Justice and Empowerment Dept scholarships (https://sje.rajasthan.gov.in/)
- National Scholarship Portal (NSP) (https://scholarships.gov.in/)
- Buddy4Study scholarship search (https://www.buddy4study.com)

6 काम कैसा होता है

कहाँ काम

ज़िला महिला अधिकारिता कार्यालय, सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, महिला हेल्पलाइन कक्ष, तथा क्षेत्र में साथिन कार्यकर्ताओं के साथ गाँव-गाँव के दौरे। कुछ काम पुलिस थाने, चिकित्सालय एवं न्यायालय परिसर में भी होता है।

कार्य-संस्कृति

यह भावनात्मक रूप से माँग करने वाला काम है। हिंसा या संकट में आई महिला का प्रकरण किसी भी समय आ सकता है, और उसमें पुलिस, चिकित्सालय तथा परिवार के बीच समन्वय तुरंत करना पड़ता है। कभी-कभी परिवार या समुदाय का दबाव भी झेलना पड़ता है, इसलिए दृढ़ता और गोपनीयता दोनों आवश्यक हैं। सुनी हुई बातों का बोझ हल्का नहीं होता — इस काम में अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखना भी कौशल का हिस्सा है। दूसरी ओर, इस पद पर किया गया काम कई बार किसी के जीवन की दिशा बदल देता है, और यह बहुत कम नौकरियों में मिलता है।

कौन नौकरी देता है

- महिला अधिकारिता निदेशालय, राजस्थान सरकार
- महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र
- ज़िला महिला एवं बाल विकास कार्यालय
- सखी वन स्टॉप सेंटर — प्रत्येक ज़िले में
- महिला हेल्पलाइन एवं इंदिरा महिला शक्ति योजना की इकाइयाँ
- साथिन एवं महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम

माँग (2026)

महिला सुरक्षा का ढाँचा प्रदेश में लगातार बढ़ा है — सखी वन स्टॉप सेंटर अब हर ज़िले में हैं और हेल्पलाइन का दायरा भी फैला है, इसलिए पर्यवेक्षी पदों की आवश्यकता बनी रहती है। सेवा नियमों के अनुसार यह पद 100% सीधी भर्ती से भरा जाता है, यानी पूरा संवर्ग बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुला है — यह आंगनवाड़ी वाले पर्यवेक्षक पद से महत्त्वपूर्ण अंतर है, जहाँ आधे पद कार्यरत कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। बोर्ड ने 2024 में इस पद की पूर्ण विज्ञप्ति जारी की थी। संवर्ग बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए भर्ती हर वर्ष नहीं निकलती। एक बात स्पष्ट रहे — ऊपर दी गई "माँग" पदों की संख्या बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। चयन खुली प्रतियोगिता से होता है और आवेदन करने वालों की संख्या पदों से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी किसी एक भर्ती में चयनित नहीं हो पाते। यह इस करियर के विरुद्ध तर्क नहीं है — बस इसे अपनी एकमात्र योजना न बनाएँ। तैयारी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखें या कोई कौशल सीखें, ताकि परिणाम चाहे जो हो, वर्ष व्यर्थ न जाए।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

1. पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता) — ज़िला कार्यालय अथवा सखी केंद्र में नियुक्ति
2. अगला पद — नियम इसके लिए समाज कार्य में स्नातकोत्तर (एम.एस.डब्ल्यू.) तथा इस पद पर 7 वर्ष का अनुभव माँगते हैं
3. संरक्षण अधिकारी एवं ज़िला स्तरीय पर्यवेक्षी पद
4. सहायक निदेशक एवं उससे ऊपर, पदोन्नति के माध्यम से

कमाई

शुरुआत	विज्ञप्ति में घोषित पे मैट्रिक्स स्तर के अनुसार
मध्य स्तर	₹35,000 – ₹45,000 (भत्तों सहित, कुछ वर्षों बाद)
वरिष्ठ स्तर	₹50,000 से अधिक (भत्तों सहित, पदोन्नति के बाद)

क्षेत्रीय दौरों के लिए यात्रा भत्ता अलग से देय होता है। एक बात योजना बनाते समय ध्यान रखें — इस पद से आगे की पदोन्नति एम.एस.डब्ल्यू. से बँधी है, इसलिए वह डिग्री सेवा में रहते हुए पूरी करना सीधे वेतन-वृद्धि से जुड़ जाता है। शुरुआती वेतन का आँकड़ा मूल वेतन है, ताकि इसे दूसरे करियर के साथ सीधे तुलना किया जा सके। इस पर महँगाई भत्ता (1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60%) एवं मकान किराया भत्ता अलग से जुड़ते हैं, इसलिए हाथ में आने वाली राशि इससे काफ़ी अधिक होती है। मध्य-स्तर व वरिष्ठ स्तर के आँकड़े भत्तों सहित अनुमानित मासिक आय हैं, मूल वेतन नहीं। ध्यान दें — राजस्थान में सीधी भर्ती से लगे कर्मचारी पहले 2 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रहते हैं और इस अवधि में वेतनमान नहीं, बल्कि एक नियत पारिश्रमिक मिलता है; इन दो वर्षों में महँगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होते (राजस्थान सेवा नियम, नियम 7(30क))। पूरा वेतनमान परिवीक्षा पूरी होने के बाद लागू होता है। इस पद का पे मैट्रिक्स स्तर इस पृष्ठ पर आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं किया जा सका — न सेवा नियमों में, न सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूची में। इसलिए यहाँ कोई स्तर नहीं लिखा गया है। सही आँकड़ा उस भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति में दिया जाता है; आवेदन से पहले उसे अवश्य देखें। ऊपर दिए गए आँकड़े राजस्थान के सातवें वेतन मैट्रिक्स पर आधारित हैं, जो 17 अगस्त 2026 तक लागू है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की शर्तें 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत हुई थीं और आयोग को गठन से 18 माह के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ, और कुछ देर से, लागू करती हैं — इसलिए राजस्थान का वेतनमान भी आगे संशोधित होगा, यद्यपि कब और कितना, यह अभी तय नहीं है।

8 अच्छी बातें · चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- किसी भी विषय से स्नातक पात्र और 100% पद सीधी भर्ती से — पूरा संवर्ग खुला
- आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष — इस पोर्टल के कई पदों से कहीं अधिक उदार
- सार्थक काम, जिसका असर किसी महिला के जीवन पर सीधे दिखता है

चुनौतियाँ

- भावनात्मक रूप से भारी काम — हिंसा और संकट के प्रकरण रोज़ सामने आते हैं
- किसी भी समय बुलावा आ सकता है; काम का समय हमेशा निश्चित नहीं रहता
- संवर्ग छोटा है, इसलिए भर्ती वर्षों के अंतराल पर निकलती है

9 अगर यह रास्ता न बने तो

एक परीक्षा या एक प्रयास से रास्ता बंद नहीं होता। इन्हीं विषयों से ये रास्ते भी खुलते हैं — इनमें प्रवेश आमतौर पर आसान होता है और आगे चलकर इसी क्षेत्र में लौटा जा सकता है।

- बाल विकास विशेषज्ञ
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका — महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान
- सामाजिक कार्यकर्ता

10 स्रोत व आगे पढ़ें

1. राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 (कार्मिक विभाग) — https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/20230201011210070932512WomanEmpowerment2017.pdf

2. सी.ई.टी. नियम 2022 — अनुसूची-I में पर्यवेक्षक (महिला अधिकारिता) — https://dop.rajasthan.gov.in/writereaddata/modulCategory/2023071803321580170147CET-18-7-2023_merged.pdf

3. महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार — https://wcd.rajasthan.gov.in/

4. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आधिकारिक) — https://rssb.rajasthan.gov.in/

5. कार्मिक विभाग, राजस्थान — सेवा नियम — https://dop.rajasthan.gov.in/

6. आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग — मंत्रिमंडल की स्वीकृति (पी.आई.बी., 28 अक्टूबर 2025) — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289

और 770+ करियर — पूरा पोर्टल

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ़्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gsssjethantri.in